



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939

No. 544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 जून, 2017

सं. 25/2017-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 665(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एस-354/39/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 25/2017-Customs

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Taxation Laws (Amendment) Act, 2017 (18 of 2017), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2017 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 354/39/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.